रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18052024-254201
SG-DL-E-18052024-254201

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] दिल्ली, बुधवार, मई 15, 2024/वैशाख 25, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 45
No. 138] DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 2024/VAISAKHA 25, 1946 [N. C. T. D. No. 45

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 मई, 2024

फा0 सं0 44(54)/2022/स0कल्या0वि0/प्रशा0II/भर्ती नियम अन्वेषक/196.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 08.05.1969 की अधिसूचना सं0 फा0 2(2)/69–सेवाएं– II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''अन्वेषक'' के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :– (i) इन नियमों को अन्वेषक भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :–वह व्यक्ति,

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. बचाव :–इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>अनुसूची</u>

1.	पदनाम	:	अन्वेषक
2.	पदों की संख्या	:	9* (2024) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय, समूह–ग
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (रुपये 19900–63200/–)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा	:	18–25 वर्ष के बीच *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी। टीप 1 :–केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप 2 :–आयु–सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य योग्यता :– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति । टीप 1 :–अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02 वर्ष टीप–परिवीक्षा की पूर्णता के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रेरक प्रशिक्षण अथवा पूर्व अपेक्षित संवर्ग प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित।
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा टीप :– पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी–

			(क) नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; तथा (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
11.	यदि पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) की संरचना 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0 सुधा0), रा0रा0क्षे0दि0स0–अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष –सदस्य 3. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0), रा0रा0क्षे0दि0स0 –सदस्य टीप :– यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अंजली सहरावत, निदेशक

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 15th May, 2024

F. 44(54)/2022/DSW/AdmnII/RRs Investigator/196.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R. 840 dated 13th July, 1959 and in supersession of notification no. F.2(2)/69-Services-II Dated 08.05.1969 except as things done or omitted to be done before such supersession the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Investigator in the Department of Social Welfare, Government of National Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement: -** (i) These rules may be called the Investigator Recruitment Rules, 2024.

   (ii) They shall come into force on the date of its publication in official gazette.

2. **Number of Posts, Classification and level in the pay matrix: -** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc: -** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification: -** No person-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax: - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of the Post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for Direct Recruits
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Investigator	9*(2024), *Subject to variation depending on work load.	General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial, Group-C	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200)	Not Applicable	Between 18 and 25 years* *In case of post being filled up by All India open competition, it would be between 18 years and 27 years. **Note 1:** The upper-age limit is relaxable for departmental candidate up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB/ Competent Authority.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	**(8)**	**(9)**
Essential Qualification: - 12th pass from a recognized Board/ Institution. A typing speed of 35 w.p.m in English or 30 w.p.m in Hindi on computer. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not Applicable.	Two Years. **Note:** Induction Training of at least 2 weeks or as prescribed by the cadre authority is a pre-requisite for completion of probation.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation to be made
(10)	**(11)**
By direct Recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from offices of Central Government: (a) Holding analogous posts on regular basis, and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7. (The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)	Not Applicable.

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	**(13)**
Composition of Group 'C' Departmental Confirmation committees (for confirmation). 1. Pr. Secretary/Secretary (AR), GNCT of Delhi - **Chairperson.** 2. Head of the Department concerned **- Member.** 3. Deputy Secretary (GAD) , GNCT of Delhi - **Member.** **Note:-**Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case notified chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	Not applicable

By Order and in the Name of the Hon'ble Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

ANJALI SEHRAWAT, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.18 15:53:36 +05'30'